न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर,

पीठासीन अधिकारी :–सुभाष चन्द्र

(आर.ए.एस.)

प्र.सं.152/25

जीसीएमएस : 2025/353

1. गुरमेल राम पुत्र श्री सरदारा राम जाति रामदासिया निवासी 54 आर.बी (गंगूवाला जाटान)तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। –:वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर। –: प्रतिवादी

<u>वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट,</u>

तारीख रजू:–30.07.2025

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री भूप सिंह अधि. वादी।
2. राजपेरोकार सरकार प्रतिवादी

दिनांक : 10.02.2026

–निर्णय–

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व 136 एलआरएक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वाके चक 5 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 27/15 में पत्थर नंबर 155/273 मुरब्बा नंबर 33 की कुल खाता योग 6.325है0 नहरी में वादी का 316/6325 हिस्सा यानि 0.316है0 नहरी खातेदारी एवं वाके चक 54 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 19/33 में पत्थर नंबर 145/265 मुरब्बा नंबर 7 की 3.795है० बारानी, पत्थर नंबर 146/265 मुरब्बा नंबर 6 की नहरी 1.265 है0 व बारानी 0.695 है०, पत्थर नंबर 146/266 मुरब्बा नंबर 12 की बारानी 2.405 है0 व खाला 0.125 है। कुल खाता योग 8.285 है0 नहरी–बारानी मय खाला में वादी का 414/8285 हिस्सा यानि 0.414 है0 खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर वादी को हर प्रकार के हक हकूक वा खातेदारी अधिकार हासिल है। वादी का सही वा वास्तविक नाम गुरमेल राम है, मगर वादी को बाल्यकाल में उसके परिजन व पूर्वज वादी के सही नाम गुरमेल राम के साथ–साथ घरेलू नाम गुरमेल चन्द पुकारने के कारण वादी को इन दोनो नामों से ही जाना–पहचाना जाने लगा, इस प्रकार ये दोनो नाम वादी के ही है किसी अलग–अलग व्यक्ति के नहीं है। मगर वादी से संबंधित व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजात राशनकार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र, मूल निवास प्रमाण–पत्र, बैंक पास–बुक इत्यादि में वादी का नाम गुरमेल राम दर्ज है। ग्राम 54 आर.बी. (गंगूवाला जाटान) तहसील रायसिंहनगर में वादी के अलावा वादी के उपरोक्त नाम गुरमेल राम या गुरमेलचन्द नाम का ओर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है और ना ही वादी के परिवार में इन नामों का कोई व्यक्ति है। उपरोक्त रकबा विरासतन वादी के नाम से नामान्तरित हुआ, मगर सहबन से वास्तविक नाम गुरमेल राम के स्थान पर गुरमेलचन्द नाम दर्ज कर दिया। मगर वादी के व्यक्तिगत दस्तावेजात में उसका नाम गुरमेल राम दर्ज होने से वादी को आईन्दा भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड जारी करवाने, हस्तान्तरण करने, ऋण आदि लेने व अन्य सरकारी योजनाओं व अनुदान आदि का लाभ लेने में भारी दिक्कते व परेशानिया उठानी पड़ेगी व लाभ प्राप्ति से वंचित होने का अन्देशा रहेगा। इसके अलावा वादी के वारिसान को भी भविष्य में भारी परेशानिया उठानी पड़ेगी और उनके नाम भूमि अन्तरित होने में परेशानी होगी। इसलिये वादी अपने नाम की दुरूस्ती [illegible] जरूरी है। अभिलेखों में अपना सही व वास्तविक उक्त नाम दर्ज करवा पाने का [illegible] रिकार्ड में वादी ने प्रतिवादी से बमुकाम रायसिंहनगर सम्पर्क कर [illegible] अंततः माह [illegible] 2025 के दुरुस्ती का अनुरोध करने पर प्रथमतः टालमटोल करते हुए [illegible] /आदेश तृतीय सप्ताह में यह कहकर दुरूस्ती से इंकार कर दिया कि [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

से ही दुरूस्ती हो सकेगी। यही तारीख पैदा होने बिनाये दावा बिनाये मुखास्मत है। वादी के समक्ष वांछित अनुतोष प्राप्ति के लिये वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई चारा शेष नही रहा है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार वा श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अंदर मियाद पेश है अतः वाद वादी पेश कर निवेदन है कि वाद बादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी निम्नप्रकार से डिकी सादिर फरमाया जावें कि वाके चक 5 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 27/15 में पत्थर नंबर 155/273 मुरब्बा नंबर 33 की कुल खाता योग 6.325है0 नहरी में वादी का 316/6325 हिस्सा यानि 0.316है0 नहरी खातेदारी एवं वाके चक 54 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के संयुक्त खाता संख्या 19/33 में पत्थर नंबर 145/265 मुरब्बा नंबर 7 की 3.795है० बारानी, पत्थर नंबर 146/265 मुरब्बा संख्या नंबर 6 की नहरी 1.265 है0 व बारानी 0.695है0, पत्थर नंबर 146/266 मुरब्बा नंबर 12 की बारानी 2.405है. व खाला 0.125है० कुल खाता योग 8.285है0 नहरी–बारानी मय खाला में वादी का 414/8285 हिस्सा यानि 0.414 है0 वादी की खातेदारी कृषि भूमि है तथा घोषित किया जावे कि वादी का सही व वास्तविक नाम गुरमेल राम है। घोषणात्मक डिकी अनुसार जमाबंदी व उसके पश्चात के समस्त रिकार्ड में वादी के नाम की दुरूर्ती करते हुये वादी के नाम 'गुरमेलचन्द'के स्थान पर 'गुरमेल राम' दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं01 को फरमायें। विकल्प में ऐसा करनें में विधिक अड़चन हो तो 'गुरमेलचन्द' के स्थान पर 'गुरमेल राम उर्फ गुरमेलचन्द' दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी सं० 1 को फरमाये।

2. वाद पत्र पेश होने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की सरकार की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांकः भू.अ./25/5206 दिनांक 26.08.2025 की मौका रिपोर्ट से अवगत करवाया है कि मुताबिक रिपोर्ट वाके चक 5 पीएस के खाता संख्या 27 के मु० नं० 33 का 6.325 है0 नहरी भूमि मुस्तरका खाता में गुरमेल चन्द पुत्र सरदारा राम हिस्सा 316/6.325 है० जाति रामदासिया साकिन 54 आरबी खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का नाम गुरमेलराम पुत्र सरदाराराम सभी दस्तावेज में है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय गुरमेल चन्द दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थी वास्तविक नाम गुरमेलराम है। मुताबिक रिपोर्ट चक 54 आरबी के खाता संख्या 19 के मु० नं0 6–7–12, का कुल 8.285 है0 नहरी–बारानी मय खाला भूमि संयुक्त खाता में गुरमेल चन्द पुत्र सरदाराराम हिस्सा 414/8285 जाति रामदासिया साकिन 54 आरबी खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी का नाम गुरमेल राम पुत्र सरदाराराम सभी दस्तावेज में है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय गुरमेल चन्द दर्ज हो गया। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम गुरमेल राम है। अतः मुताबिक पूछताछ व दस्तावेजो के अनुसार गुरमेल चन्द व गुरमेल राम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। चक 5 पीएस व 54 आरबी के राजस्व रिकॉर्ड में गुरमेल चन्द उर्फ गुरमेलराम पुत्र सरदाराराम जाति रामदासिया साकिन 54 आरबी किया जाना उचित होगा।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वाद पत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड की छायाप्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छायाप्रति, मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के राजस्व वाके चक 5 पीएस के खाता संख्या 27 के मु० नं० 33 का 6.325 है0 नहरी भूमि मुस्तरका खाता में गुरमेल चन्द पुत्र सरदारा राम हिस्सा 316/6.325 है० जाति रामदासिया साकिन 54 आरबी खातेदार दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय गुरमेल चन्द दर्ज हो गया है व चक 54 आरबी के खाता संख्या 19 के मु० नं0 6–7–12, की कुल 8.285 है0 नहरी–बारानी मय खाला भूमि संयुक्त खाता में गुरमेल चन्द पुत्र सरदाराराम साकिन 54 आरबी खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड [illegible] गुरमेल चन्द पुत्र सरदाराराम दर्ज हो गया हो गया है उस स्थान पर गुरमे[illegible] गुरमेलचन्द्र पुत्र श्री सरदाराराम जाति रामदासिया दर्ज करवा[illegible] वाद–पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार रायसिंहनगर, सम्बन्धी [illegible], शपथ [illegible] के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार परं प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं 125–136 राजस्व भू अधिनियम 1956** भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर वाके चक 5 पीएस के खाता संख्या 27 के मु० नं० 33 का 6.325 है० नहरी भूमि व चक 54 आरबी के खाता संख्या 19 के मु० नं0 6–7–12, का कुल 8.285 है0 नहरी–बारानी मय खाला भूमि संयुक्त खाता में **गुरमेल चन्द पुत्र सरदाराराम जाति रामदासिया के स्थान पर वादी का नाम "गुरमेल राम उर्फ गुरमेलचन्द्र पुत्र सरदाराराम जाति रामदासिया"** दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। पालना हेतु डिग्री जारी हो। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

निर्णय आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर

{सुभाषचन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:36:42 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner